



नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २७] काठमाडौं, माघ १० गते २०३४ साल [संख्या ४०

श्री ५ को सरकार

अर्थ मन्त्रालयको

सूचना

आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले श्री महेशचन्द्र रेग्मीले पाउनुभएको रामोन माग्सेसाई पुरस्कारमा आयकर पूर्ण रूपले छुट दिने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आज्ञाले—

नरकान्त अधिकारी

श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(३)

केवल प्रमाण के रूप में

(४) विचार प्रवर्तनी नियंत्रण

(५) न्याय-आयुक्त कार्यालय के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले मामलों में न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में

(६) न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में

(७) न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में

(८) न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में

६ मार्च १९८८

साक्षीकरण आदेशों के अभाव में

१०६ गणेश | मोर ४६०५ को ०५ कोर | डिप्टी जज | १०६ गणेश

कोर के अभाव में

विचार प्रवर्तनी के अभाव में

न्यायिक अधिकारों के अभाव में

१०६ गणेश कोर के अभाव में (६) ५४ कोर के अभाव में १०६ गणेश कोर के अभाव में

न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में

न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में

न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में

कोर के अभाव में

विचार प्रवर्तनी के अभाव में

न्यायिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक अधिकारों के अभाव में

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

८८४